बिहार सरकार

मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

आदेश

पटना, दिनांकः–.....

संख्याः– V/नि0–1–06/2025 (C.No.-493614)...3119.../बिहार सेवा संहिता के राज्यादेशों एवं अनुदेशों का सार संग्रह की कंडिका–8 के आलोक में श्री भास्कर ज्योति, अवर निबंधक, रोसड़ा समस्तीपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखो के आधार पर श्री भास्कर ज्योति, अवर निबंधक, रोसड़ा समस्तीपुर को उनके नाम के सम्मुख "डॉ0" की उपाधि जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त के आलोक में उनके सेवा अभिलेख में नाम के पूर्व "डॉ0" लिखा जाय।

3. इसमें सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।

ज्ञापांकः– V/नि0–1–06/2025 3119 पटना, दिनांकः– 26.05.26

प्रतिलिपिः–प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/उप निबंधन महानिरीक्षक/सहायक निबंधन महानिरीक्षक, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/जिला अवर निबंधक, समस्तीपुर/श्री भास्कर ज्योति, अवर निबंधक, रोसड़ा, समस्तीपुर/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/5/2026

सरकार के संयुक्त सचिव
बिहार, पटना।